राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प करौली

:– आदेश :–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महोली व भू.अ.नि. महोली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली /नायब तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम महोली तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 21, 572 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	महोली	21	राव जमनीलाल राधेश्याम रमेश, यम्पू पि0 सरवन हि 4/10 शेष कदम्ब	राव जीलाल राधेश्याम रमेश, ~~[illegible]~~ प्यारेलाल पि0 सरवन हि 4/10 शेष कदम्ब
		572	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार

( )
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, करौली

क्रमांकः– 190 दिनांकः–9.6.17

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।

प्राप्त 9/6/17

नामा0 नं. 1529 दिनांक 9/6/17

( )
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत